...अपने ... घोषणा। खातेदारी एवं बंट ... था। ...दी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 05.04.2022 को प्राथमिक डिक्री के आदेश ...किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 05.04. ...की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 1480 दिनांक 09.12.2022 को ...हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने ...मिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव ...सीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर ...र किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी कुनणसिंह उर्फ कुंदनसिंह पुत्र नारसिंह व ...वादी नन्दुकंवर पुत्री नारसिंह ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर ...स्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा ...ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि पटवार हल्का तथा भू.अभि.निरीक्षक ...पालिया की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही ...ना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने ...निवेदन किया। अतः मौजा ख़ाबड़ियाना के खेत खसरा नंबर 206 रकबा 2.7114 हैक्टेयर, ...खसरा नंबर 210 रकबा 2.9704 हैक्टैयर ,खसरा नंबर 270 रकबा 2.0963 हैक्टेयर की भूमि ...का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा खाबड़ियाना के खेत खसरा नंबर 206 रकबा 2.7114 हैक्टेयर, खसरा नंबर 210 रकबा 2.9704 हैक्टैयर ,खसरा नंबर 270 रकबा 2.0963 हैक्टेयर की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम ड्रिकी किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

1. वादी कुनणसिंह उर्फ कुदनसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खाबड़ियाना का खेत खसरा नंबर 206 रकबा 2.7114 हैक्टेयर मे से 0.9038 हैक्टैयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 210 रकबा 2.9704 हैक्टेयर में से 0.9901 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 270 रकबा 2.0963 हैक्टैयर मेंसे 0.6987 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खाबड़ियाना का खेत खसरा नंबर 206 रकबा 2.7114 हैक्टेयर मे से 1.8076 हैक्टैयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 210 रकबा 2.9704 हैक्टेयर में से 1.9803 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 270 रकबा 2.0963 हैक्टैयर में से 1.3976 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर सह खातेदार घोषित किया जाता है।
3. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
4. नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न अंग माना जावेगा।
5. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने पर)
6. निर्णय आज दिनांक 10/1/2023 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बसीर)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner